A Parela

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 234/15

संस्थित दिनाँक-08.05.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—मौ जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

वाहिद खां पुत्र भूरे खां उम्र 24 साल निवासी मौ जिला भिण्ड म0प्र0

..अभियुक्त

<u>—ः निर्णय ः—</u> {आज दिनांक 17.08.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 18.01.15 को 13 बजे फरियादी इकबाल खां के घर के सामने गोरियन टोला मौ जिला भिण्ड पर फरियादी इकबाल खां की मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 30 बी0ए0—9642 की चोरी कारित की।

- 2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी इकबाल खां द्वारा दिनांक 22.01. 2015 को इस आशय की सूचना थाना मों में दी कि मोटरसाईकिल क0 एम0पी0 30 बी०ए0-9642 को उसने भूपेन्द्र पुत्र जबरिसंह से कृय किया था और उसके नाम दस्तावेज नहीं हुए थे। उसने दिनांक 18.01.15 को उक्त मोटरसाईकिल अपने दरवाजे के सामने खड़ी कर दी तो कोई अज्ञात चोर उसे चुरा ले गया जिसकी वह लगातार तलाश करता रहा। उसे दिनांक 22.01.15 को गोरियन टोला की शकीला बेगम व दिलशाद खां ने बताया कि घटना दिनांक को उक्त मोटरसाईकिल आरोपी वाहिद बस स्टैण्ड तरफ ले गया था। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क0 13/15 दौरान अनुसंधान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, आरोपी को गिर0 किया गया। वाहन जब्तकर जब्दी पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।
- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूंटा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं — क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.01.15 को 13 बजे फरियादी इकबाल खां के घर के सामने गोरियन टोला मौ जिला भिण्ड पर फरियादी इकबाल खां की मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 30 बी0ए0—9642 की चोरी कारित की ?

## —:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में शकीला बेगम अ0सा0 1, इकबाल खां अ0सा0 2, साबिर अ0सा0 3, जनकसिंह उर्फ भूपेन्द्र अ0सा0 4, अवनीश शर्मा अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 6. फरियादी इकबाल खां क्ष0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उनकी मोटरसाईकिल सीटी 100 क्रमांक 9642 को उन्होंने मोहल्ले के लड़के सगीर से खरीदा था और जनवरी के महीने में दरवाजे पर खड़ी कर दी थी तब मोटरसाईकिल को कोई चुरा ले गया। उसने बाहर आकर देखा तो मोटरसाईकिल नहीं थी। मोटरसाईकल को ढूढा तो शकीला बेगम ने बताया कि उसके सामने मोटरसाईकल को आरोपी वाहिद खां ले गया था। जब उसने वाहिद को ढूंढा तो वह नहीं मिला इसके बाद उसने प्र0पी0 1 की रिपोर्ट की थी। साक्षी रिपोर्ट पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। घटनास्थल के संबंध में नक्शामौका प्रपी0 2 बनाए जाने का कथन करते हुए नक्शामौका पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। साक्षी के मुख्य परीक्षण से यह दर्शित हो रहा है कि उसने स्वयं अभियुक्त को मोटरसाईकिल ले जाते हुए नहीं देखा बल्कि शकीला बेगम के बताने पर अमियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल ले जाने का कथन करता है। साक्षी सूचक प्रश्न में यह तथ्य स्वीकार करता है कि शकीला और दिलशाद ने उसे मोटरसाईकिल बस स्टैण्ड तरफ ढरकाकर ले जाने की बात बताई थी। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में इस तथ्य से इंकार करता है कि अभियुक्त से अभिकथित मोटरसाईकिल उसके सामने जब्त की गयी थी। ऐसे मैं इस साक्षी की अभिसाक्ष्य चोरी की घटना के संबंध में अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आती है।
- 7. प्रकरण में शकीला अ0सा0 1 के रूप में परीक्षित कराई गयी जो यह कथन करती है कि फरियादी इकबाल की मोटरसाईकिल को अभियुक्त वाहिद उसके साक्ष्य से करीब एक साल पहले ले जा रहा था उस समय वह हैण्डपंप पर पानी भर रही थी। यह कथन करती है कि उसे बाद में पता चला कि चोरी हो गयी है तो इकबाल के घर वालों को बताया था। यह साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करती है कि उसने स्वयं इकबाल को वाहिद द्वारा गाडी ले जाने की बात नहीं बताई थी। यह भी कथन करती है कि प्र0डी० 1 के पुलिस कथन में उसने इकबाल खां और मौहल्ले के लोगों को बताए जाने के संबंध में तथ्य नहीं लिखाया था। साक्षी पुलिस कथन प्र0डी० 1 में

विनिर्दिष्ट ए से ए, बी से बी तथा सी से सी भाग के तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। साक्षी द्वारा जहां मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि इकबाल की मोटरसाईकल को अभियुक्त वाहिद ले जा रहा था, वह साक्षी प्रतिपरीक्षण में यह बताने में अस्मर्थ है कि वाहिद कौनसे नंबर की मोटरसाईकिल ले जा रहा था और प्रतिपरीक्षण के अंत में कथन करती है कि वाहिद जो मोटरसाईकिल ले जा रहा था वह किसकी है, उसे नहीं मालूम। ऐसे में उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य में कथित रूप से यह प्रमाणित मान भी लिया जाए कि अभियुक्त वाहिद कोई मोटरसाईकिल ले जा रहा था किन्तु उक्त मोटरसाईकिल फरियादी की थी इस संबंध में कोई भी विश्वसनीय तथ्य शकीला अ०सा० 1 के अभिसाक्ष्य से दर्शित नहीं होता है।

- प्रकरण में साबिर अ0सा0 3 परीक्षित कराया गया जो यह कथन करता है कि घटना दिनांक को वह ग्वालियर में था और जब मौहल्ले में आया तो उसे पता चला कि इकबाल की मोटरसाईकल चोरी हो गयी है। यह साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर दिया गया और सूचक प्रश्न में यह कथन करता है कि उसके सामने अभियुक्त के कब्जे से कोई मोटरसाईकिल जब्त नहीं हुई। जब्ती पत्रक प्र0पी0 3 पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार करता है किन्तु उसके द्वारा उक्त हस्ताक्षर ग्राम मेवली में मोटरसाईकल मिलने के संबंध मे कराए जाना बताए गए हैं। जब्ती पत्रक प्र0पी0 3 का एक साक्षी स्वयं फरियादी इकबाल अ0सा0 2 बताया गया है जो कि जब्ती पत्रक प्र0पी0 3 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है किन्तु उसके समक्ष अभियुक्त से मोटरसाईकल जब्त किए जाने के संबंध में तथ्य से इंकार करता है। प्रकरण में फरियादी इकबाल अ०सा० २ प्रतिपरीक्षण की किण्डका ३ में यह स्वीकार करता है कि दिनांक 18.01.2015 को अभियुक्त वाहिद उसे मिल गया था और दो दिन तक वह उसे अपनी बैठक में बिठाए रखा स्वतः कथन करता है कि अभियुक्त का भाई भी था। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि उसने व वाहिद के भाई ने दो दिन तक वाहिद से पूछताछ की लेकिन अभियुक्त ने मोटरसाईकल चोरी न करनी बताया था। इस प्रकार से जहां फरियादी प्रपी0 1 की रिपोर्ट के अनुसार उसे कथित शकीला एवं दिलशाद से घटना दिनांक को उसकी मोटरसाईकिल अभियुक्त वाहिद द्वारा चुरा लिए जाने के संबंध में तथ्य लेख कराता है और न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त को दिनांक 18.01.15 से ही दो दिन तक अपने यहां बिठाकर रखना और पूछताछ करना बताता है। ऐसी दशा में साक्षी के द्वारा परस्पर विरोधाभासी तथ्य प्रकट किए हैं।
- 9. प्रकरण में घटना दिनांक 18.01.15 को अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 बी०ए0 9642 को चुराने के संबंध में मात्र शकीला अ०सा० 1 का अपुष्ट व विरोधाभासी कथन अभिलेख पर है। इसके अतिरिक्त फरियादी इकबाल अ०सा० 2 सर्वप्रथम तो अनुश्रुत साक्षी है और दूसरा उसके द्वारा अपने अभिसाक्ष्य एवं अभिलेख पर प्रस्तुत तथ्यों से विपरीत कथन किया गया है। साक्षी

द्वारा जहां मुख्य परीक्षण में उसे दिनांक 18.01.15 को शकीला एवं दिलशाद द्वारा यह बताए जाने कि उसकी मोटरसाईकिल वाहिद खां ढरकाकर ले गया, का कथन किया है जबिक यह स्वीकार करता है कि प्र०डी० 2 के पुलिस कथन में उक्त बात लेख नहीं हैं। प्र०डी० 2 में दिनांक 22.01.15 को शकीला बेगम और दिलशाद खां के द्वारा उक्त बात पता चलने का तथ्य लेख है। फरियादी इकबाल अ०सा० 2 द्वारा दिनांक 18.01.15 को ही यदि अभियुक्त द्वारा अपराध करने की बात पता चल गयी तो उसके द्वारा उक्त दिनांक को रिपोर्ट न किया जाना बल्कि दो दिन तक अभियुक्त को अपने घर रोककर रखना संदेह उत्पन्न करता है। अभिकथित मोटरसाईकिल फरियादी के नाम की भी नहीं हैं जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि फरियादी के आधिपत्य में अभिकथित मोटरसाईकिल घटना दिनांक 18.01.15 को थी।

- 10. अभियोजन की ओर से जनकिसंह उर्फ भूपेन्द्र अ0सा0 4 के रूप में परीक्षित कराए गए जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि उन्होंने मोटरसाईकल एम0पी0 30 बी0ए0 9642 वर्ष 2015 में फरियादी को बेच दी थी। इसके अलावा अन्य कोई कथन नहीं करता है। यदि जनकिसंह अ0सा0 4 के चुनौतीविहीन अभिसाक्ष्य एवं फरियादी के अभिकिथित मोटरसाईकल उसके आधिपत्य में घटना दिनांक 18.01.15 को होने के चुनौतीविहीन अभिसाक्ष्य के आधार पर यह तर्क के लिए मान लिया जाए कि फरियादी इकबाल खां के पास अभिकिथित मोटरसाईकिल उक्त दिनांक को थी किन्तु इसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उक्त मोटरसाईकिल को अभियुक्त द्वारा चोरी किया गया।
- 11. प्रकरण में जहां अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक 18.01.15 को मोटरसाईकल की चोरी के संबंध में कोई तर्कपूर्ण विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद नहीं हैं वहीं दूसरी ओर अभिकथित मोटरसाईकिल की अभियुक्त से जब्ती के संबंध में अनुसंधानकर्ता अवनीश शर्मा अ0साо 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 17.04.15 को गांधी चौक मौ नामक स्थान से अभियुक्त के आधिपत्य से जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 3 बनाया और उसके सी से सी भाग पर हस्ताक्षर किए थे। प्र0पी0 3 के महत्वपूर्ण साक्षी फरियादी इकबाल अ0साо 2 यह कथन करते हैं कि उनके समक्ष अभियुक्त से कोई मोटरसाईकिल जब्त नहीं की गयी बल्कि यह कथन करते हैं कि उसकी मोटरसाईकल ग्राम मेवली में हीरालाल के घर मिली थी और वह तथा साबिर हीरालाल के घर से मोटरसाईकल उठाकर लाए थे। साबिर अ0साо 3 यह कथन करते हैं कि पुलिस ने उससे इस बात के हस्ताक्षर कराए कि ग्राम मेवली में इकबाल की मोटरसाईकल मिली थी। उक्त दोनों साक्षी सूचक प्रश्नों में इस तथ्य से इंकार करते हैं कि गांधी चौक मौ से अभियुक्त वाहिद से उनके सामने मोटरसाईकल जब्त की गयी थी और जब्ती पत्रक प्र0पी0 3 बनाया गया था। अभियुक्त की ओर से अनुसंधानकर्ता अवनीश शर्मा अ0साо 5 को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में सुझाव दिया गया कि उक्त मोटरसाईकिल ग्राम मेवली में हीरालाल

के घर से उठाकर लाए थे तो साक्षी द्वारा उक्त सुझाव से इंकार किया है। प्रकरण में यद्यपि अनुसंधानकर्ता की कार्यवाही के संबंध में संदेह का आधार दर्शित नहीं हुआ है किन्तु जहां जब्ती पत्रक प्र0पी0 3 पर फरियादी इकबाल खां स्वयं अभियुक्त के आधिपत्य से गांधी चौक मौ नामक स्थान से कथित मोटरसाईकिल की जब्ती होने के तथ्य से इंकार करते हैं तो ऐसी दशा में उक्त मोटरसाईकल की जब्ती का तथ्य स्वयं संदिग्ध हो जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अभिकथित जब्ती की कार्यवाही के संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा को प्रमाणित नहीं किया है।

- 12. इस प्रकार से जहां अभियोजन की ओर से अभिकथित घटना दिनांक 18.01.15 को गोरियन टोला मौ से फरियादी इकबाल खां के आधिपत्य से अभियुक्त द्वारा मोटरसाईकिल एम0पी0 30 बी०ए0 9642 हटाए जाने के संबंध में तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हैं वहीं अभियोजन की ओर से अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त मोटरसाईकिल की जब्ती का तथ्य भी संदिग्ध परिस्थिति से आच्छादित होकर सम्यक रूप से प्रमाणित नहीं हैं। फरियादी इकबाल अ०सा० 2 स्वयं प्रकरण में हितबद्ध होकर कथित मोटरसाईकल ग्राम मेवली में हीरालाल नामक व्यक्ति के घर से लाने का कथन करता है जबिक प्रकरण में जब्ती अभियुक्त के आधिपत्य से गांधी चौक मौ नामक स्थान से प्र0पी० 3 के जब्ती पत्रक अनुसार दर्शाई गयी है।
- 13. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत वर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है।
- 14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 18.01.15 को 13 बजे फरियादी इकबाल खां के घर के सामने गोरियन टोला मौ जिला भिण्ड पर फरियादी इकबाल खां की मोटरसाईकिल कमांक एम0पी0 30 बी0ए0—9642 की चोरी कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 15. अभियुक्त की जमानत निरस्त की जाती हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

16. प्रकरण में जब्तशुदा मोटरसाईकिल एम०पी० 30 बी०ए० 9642 अपील अवधि बाद पंजीकृत वाहन स्वामी को लौटाया जावे। अपील की दशा में अपील न्यायाल के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

WILLIAM STATES AND STA

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश